1. काना पुत्र ग्यारसा,
2. कालू पुत्र कल्याण,
3. छोटू पुत्र ग्यारसा,
4. बद्रीनारायण पुत्र कल्याण,
5. बोदूराम पुत्र कल्याण,
6. मन्नालाल पुत्र कल्याण,
7. मोहन लाल पुत्र ग्यारसा,
8. शंकर पुत्र ग्यारसा **(मृतक)**
   8/1. रामू पुत्र शंकर,
   8/2. रामफूल पुत्र शंकर,
   8/3. सीताराम पुत्र शंकर निवासीगण पार्श्वनाथ नारायण सिटी के पास, मीनों की ढाणी, रामपुरा रोड़, तहसील सांगानेर जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामनारायण पुत्र मूलचन्द,
2. नैनूराम पुत्र मूलचन्द,
3. प्रभूलाल पुत्र मूलचन्द,
4. रमेश पुत्र मूलचन्द,
5. बद्रीनारायण पुत्र भूरा,
6. लालचन्द पुत्र भूरा निवासीगण पार्श्वनाथ नारायण सिटी के पास मीनों की ढाणी, रामपुरा रोड़, तहसील सांगानेर जिला जयपुर,
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील सांगानेर जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. **श्री कुलदीप वर्मा एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से**
2. **श्री हरिनारायण एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 29.06.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि विपक्षीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर वर्तमान अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा दिनांक 02.11.2021 को

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 1/8 लगायत 8/3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनकर जरिये एकपक्षीय आदेश दिनांक 03.011.2021 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट्स के विरूद्ध स्वीकार फरमाया गया है जो आदेश विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रक्रिया के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने का मौका नही दिया एवं रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से एवं प्रार्थना पत्र में गलत तथ्यों का वर्णन करते हुए एकपक्षीय आदेश पारित करवा लिया जिससे अपीलान्ट्स के अधिकारों का गंभीर रूप से हनन हुआ है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट्स को एकपक्षीय आदेश दिनांक 03.11.2021 का ज्ञान जब हुआ तब दिनांक 18.11.2021 को पटवारी हल्का मौके पर पहुँचा और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.11.2021 की पालना में अपीलान्ट्स को सूचित किया और पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण को बताया कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर ने दिनांक 03.11.2021 को रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सीमाबन्दी के आदेश पारित किये है किन्तु पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार का दस्तावेज मौके पर नही दिखाया एवं अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ तलाश करने पर अपीलार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का पता चला तथा अपीलार्थीगण ने दिनांक 01.12.2021 को उक्त सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो अपीलार्थीगण को यह जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट्स की फर्जी तामील प्रस्तुत कर एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया है, उक्त आदेश विधि के नियमों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे जिन खसरा नम्बरान की सीमाबंदी की प्रार्थना की है उसमें से कुछ खसरा नम्बर 696/2017 अपीलार्थीगण की तन्हा खातेदारी की भूमि है जिससे रेस्पोडेन्ट का किसी प्रकार का कोई वास्ता नही है किन्तु रेस्पोडेन्ट ने नाजायज रूप से अपीलार्थीगण की अलग खातेदारी की जमीन को अपनी बताकर सीमाबन्दी करवाना चाहते है जो कि रिकार्ड के अनुसार नाजायज गलत व विधि के विरूद्ध है, इस कारण रेस्पोडेन्ट ने फर्जी तरीके से अपीलार्थीगण की तामील दिखाकर एकपक्षीय आदेश पारित करवाया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.11.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान व

P.T.O.

...आयुक्त
जयपुर

पत्थरगढी करवाने के कानूनन अधिकार प्रदत्त है जिसके तहत ही रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी स्वयं की आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। उसके बावजूद भी यदि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उभयपक्ष की पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को केवल रिमाण्ड किया जाता है तो भी रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.11.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी भी किये गये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न नोटिसेज के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की सम्यक रूप से तामील नही करवायी गई तथा बिना सम्यक तामील करवाये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2021 पारित किया गया है जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।